



समक्ष- माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(म०प्र०)

गा। निगरानी। अनूपपुर। भ्रा। २०१७। ३७३

विनाम सर्वोच्च

१०-१०-१७

सं

१०-१०-१७

1. मोहन राठौर पिता स्व० महीपत राठौर
2. सोहन राठौर पिता स्व० महीपत राठौर
3. मीना राठौर पिता स्व० महीपत राठौर
4. रीना राठौर पिता स्व० महीपत राठौर
5. सुक्खू बाई राठौर पति स्व० महीपत राठौर
6. सुभद्रा राठौर पत्नी स्व० रामचरण राठौर
7. उमा देवी राठौर पिता स्व० रामचरण राठौर
8. प्रीती देवी राठौर पिता स्व० रामचरण राठौर
9. अदिति राठौर पिता स्व० रामचरण राठौर
10. फूलचंद राठौर पिता स्व० बैसाखू राठौर
11. दृष्टा राठौर पिता स्व० बैसाखू राठौर
12. राम प्रताप राठौर पिता स्व० बैसाखू राठौर

सभी निवासी ग्राम सामतपुर थाना व तहसील

अनूपपुर जिला अनूपपुर म०प्र० **पुनरीक्षणकर्तागण**

बनाम

1. मुस० मोलिया पुत्री स्व० मंडल कोल
2. मुस० गुलसिया पुत्री स्व० मंडल कोल
3. चौबे कोल पिता स्व० मंडल कोल
4. टीकम कोल पिता स्व० मंडल कोल
5. मुस० मुरतिया पुत्री स्व० मंडल कोल

सभी निवासी ग्राम करहीबाह थाना व तहसील

अनूपपुर जिला अनूपपुर म०प्र०

6. तेरसू कोल आत्मज तिहानू कोल

निवासी ग्राम तिलमनडांड थाना व तहसील जैतहरी

*लोद आठवा
१०८८०५५२
ग्वालियर
३-१०-२०१७*

जिला अनूपपुर म0प्र0

7. शंकर लाल पिता स्व0 मंगल राठौर

निवासी ग्राम सामतपुर थाना व तहसील अनूपपुर

जिला अनूपपुर म0प्र0

.....**गैरपुनरीक्षणकर्तागण**

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय

अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0 बाबत प्रकरण

कमांक 8 / अप्रैल / 2011-12 दिनांक

11 / 9 / 2007

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व

संहिता।

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्तागण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

मुस0 कुंठी बेवा मंडल रौतेल (कोल) अन्तिम

अनपपर चि—

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—तीन / निगरानी / अनूपपुर / भू.रा. / 2017 / 3773

मोहन राठौर आदि विरुद्ध मुस. मोलिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-02-2019 20-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर अनूपपुर, जिला—अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 8/अपील/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 11–09–2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18–4–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p><i>lpm</i> (आर.डी. जैन) 20/4/19 संदर्भ</p>